P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-1* September- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जनप्रतिक्रियाओं का अनुभवमूलक अध्ययन (चूरू जिले के विशेष सन्दर्भ में)

**वीना ढेनवाल**
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान,
लोहिया महाविद्यालय,
चूरू

**सारांश**

यह शोध चूरू जिले में महिला विकास कार्यक्रमों पर जनप्रतिक्रियात्मक अध्ययन से सम्बन्धित है। इसमें प्रष्नावली एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर सर्वेक्षण कार्य किया गया तथा प्राप्त सामग्री का विष्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की गई है। तत्पष्चात इन कार्यक्रमों के सफलता की वास्तविकता जानने के लिए 300 व्यक्तियों से प्रष्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त तथा स्वंय अवलोकन तथा विभागीय प्रतिवेदन से प्राप्त जानकारी का सारिणीकरण कर विष्लेषणात्मक एवं मूल्यांकन का कार्य किया गया है।

**मुख्य शब्द** : महिला विकास कार्यक्रमों की स्थितिए जनप्रतिक्रियाओं का अनुभवमूलक अध्ययन।

**प्रस्तावना**

महिलायें एवं बालिकायें समाज का अभिन्न अंग होती है। देष के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलायें आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार द्वारा आधी आबादी के विकास के लिये विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है ताकि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी व सषक्त बनाकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकें।

योजनाओं की क्रियान्विती की दषा एवं दिषा जानने के लिए जनप्रतिक्रियात्मक अनुभवात्मक अध्ययन किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग, चूरू द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना, जिला महिला समिति इन्दिरा गांधी मातृत्व योजना, स्वावलम्बन योजना, कलेवा योजना, स्वंय सहायता समूह योजना, अमृता सोसायटी, मिषन ग्राम्या शक्ति, ब्याज अनुदान योजना, महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर प्रतिषण योजना, स्वंय सहायता कार्यक्रम, राषन की दुकान आवंटन, सबला तथा किषोरी शक्ति, मुख्यमंत्री सात सूत्री कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओं बेटी पढाओ, धनलक्ष्मी, महिला समृद्धि केन्द्र, अपराजिता इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है[1]।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार कल्याण बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, बालिका सम्बल योजना, जननी षिषु सुरक्षा योजना, ज्योति योजना, जननी षिषु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना, संषोधित राजश्री, मुख्यमंत्री निःषुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःषुल्क जांच योजना, बीपीएल जीवन रक्षा कोष, परिवार कल्याण, धनन्वतरी एम्बुलेंस योजना 108, जननी एक्सप्रेस योजना, हमारी बेटी एक्सप्रेस योजना, टोल फ्री चिकित्सा परामर्ष सेवा केन्द्र, हैल्थ एण्ड हाईजीन इत्यादि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है[2]।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, भामाषाह योजना, ग्रामीण आजीविका विषन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वविवेक जिला विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद आदर्ष ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्ष ग्राम पंचायत योजना तथा श्री योजना इत्यादि संचालित की जा रही है[3]।

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाएं निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, निर्मलग्राम पंचायत विकास योजना, राज्य स्तरीय अवार्ड, जनता जल

योजना, मिड–डे मील कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना, आवासीय भूखण्ड आवंटन योजना इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है[4]।

कार्यालय जिला षिक्षा माध्यमिक के द्वारा जिले में संचालित महिला शिक्षण विहार सतत षिक्षा कार्यक्रम असाक्षर महिला शिक्षण षिविर, टासपोर्ट वाउचर, सांईकिल वितरण, प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार, आर्थिक सबलता पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, राइट टू एज्यूकेषन, सर्व षिक्षा अभियान, व्यावसायिक कौषल उन्नयन एवं आय अभिवृद्धि प्रशिक्षण षिविर, निःषुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना, छात्रवृति योजना, छात्रावास/आवासीय विद्यालय योजना, समावेषित षिक्षा, इन्सपायर अवार्ड, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल योजना, आयुक्तालय कॉलेज षिक्षा तथा राज्य सरकार द्वारा देय मुख्यमंत्री मेधावी स्कूटी वितरण एवं छात्रवृति योजना इत्यादि योजनाएं संचालित की जा रही है [5]।

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से निःषुल्क छात्रवृति योजना, विश्वास योजना, आस्था योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, निःशक्त सहायता योजना, विमंदित महिला एवं बाल गृह, पालनहार योजना, छात्रावास योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना, अनुदान सहायता योजना, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था, एकल नारी सम्मान एवं विषेष योग्यजन, सम्मान पेंषन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था इत्यादि कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की जा रही है [6]।

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, चूरू के सहयोग से महिला गृह उद्योग योजना, स्वंय सहायता समूह गठन योजना, ब्याज अनुदान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन तथा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन इत्यादि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है[7]।

जिला परिवहन कार्यालय द्वारा महिलाओं का समूह में यात्रा करने पर रियायती योजना तथा सहकारी विभाग द्वारा महिला विकास ऋण योजना कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

**उद्देश्य**

1. चूरू जिले में महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रस्थिति का विवरण प्रस्तुत करना
2. चूरू जिले में महिलाओं की निम्न प्रस्थिति के कारणों को रेखांकित करना
3. चूरू जिले में महिला विकास नीतियों, कार्यक्रमों तथा कानूनों की वस्तुस्थिति का अवलोकन करना
4. महिला विकास कार्यक्रमों के संचालन में जनप्रतिक्रियाओं का विष्लेषण करना
5. महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं एवं समस्याओं को चिन्हीत करना।

**परिकल्पना**

1. चूरू जिले में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रस्थिति चिन्ताजनक है।
2. महिला विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में समाज तथा लोक प्रषासन व्यवस्था दोनों ही पूर्ण रूचि नहीं लेते है।
3. महिला विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विती नौकरषाही के दोषों से गस्त है उनकी सार्थक भूमिका सामने नहीं आ रही है।
4. महिला कल्याण एवं विकास की योजनाएं स्थानीय आवष्यकता के अनुसार नहीं बनाई जाती है।
5. महिला विकास में बाधक तत्वों के निराकरण द्वारा विकास की गति दी जा सकती है।

**शोध प्रविधि**

इस शोध कार्य का क्षेत्र मूलतः राजस्थान के चूरू जिले में संचालित हो रहे महिला–विकास कार्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वयन का विष्लेषण करने तक सीमित है। शोधार्थी द्वारा जिले के विभिन्न विभागों महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण एवं पंचायत राज, षिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग, खेल एवं युवा मामलो का विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सहकारी विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जाकर स्वयं तथ्य एकत्रित किये गये है। दैव निदर्षन पद्धति से 300 उत्तरदाताओं का चयन कर उनसे प्रष्नावली भरवाकर जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सारणीयन कर यथोचित सांख्यिकीय विधि से उनका विष्लेषण किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत, अवलोकन, साक्षात्कार तथा संरचित अनुसूची के माध्यम से एकत्र किये गये है।

विषय से सम्बन्धित पुस्तकों, ग्रन्थो, रिपोर्टो, शोध प्रतिवेदनों, कानूनों, नीतियों, लेखो तथा समाचार सामग्री इत्यादि के माध्यम से द्वितीयक तथ्य एकत्र किये है।

**उत्तरदाता समूह की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा लिंगात्मक स्थिति**

जिले में संचालित महिला विकास कार्यक्रमों की दषा एवं दिषा जानने तथा समुचित सुधार के सुझाव प्राप्त करने के उद्देष्य से शोधार्थी ने चूरू जिले में दैव निदर्षन पद्धति से 300 उत्तरदाताओं का चयन कर उनसे प्रष्नावली भरवाकर जानकारी प्राप्त की गई। समूह में लगभग सभी आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व है। 10 से 20 आयु वर्ग के 32 व्यक्ति, 21 से 30 आयु वर्ग के 114 व्यक्ति, 31 से 40 आयु वर्ग के 101 व्यक्ति, 41 से 50 आयु वर्ग के 50 व्यक्ति तथा 51 से 60 आयु वर्ग के 03 व्यक्ति शामिल है।

क्षेत्रीय प्रतिनिधि में 50 शहरी उत्तरदाताओं तथा 250 ग्रामीण उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। लिंगात्मक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत महिला वर्ग को प्राथमिकता देते हुए 268 महिलाओं का तथा 32 पुरूषों का चयन किया गया है। इसमें से 260 विवाहित, 30 अविवाहित, 08 विधवा तथा 02 तलाकषुदा है।

शैक्षणिक स्तर के अन्तर्गत साक्षर से लेकर स्नातकोतर षिक्षा प्राप्त उत्तरदाता शामिल है 74 व्यक्ति साक्षर, 92 व्यक्ति प्राथमिक षिक्षा प्राप्त, 38 व्यक्ति मिडल प्राप्त, 70 व्यक्ति दसवीं तक षिक्षा प्राप्त, 30 व्यक्ति बारहवीं तक षिक्षित, 30 स्नातकोतर उतीर्ण तथा 36 व्यक्ति स्नातकोतर षिक्षा प्राप्त है।

समूह में विभिन्न जाति वर्ग के व्यक्ति शामिल है सामान्य वर्ग में 16 व्यक्ति, अनुसूचित जाति 142 व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति 08 व्यक्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग 126

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-1* September- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

व्यक्ति तथा अन्य वर्ग से 08 व्यक्तियों का चयन किया गया है।

समूह में 35 उत्तरदाता खेती करने वाले, मजदूर वर्ग से 42 व्यक्ति, निजी व्यवसाय करने वाले 16 व्यक्ति, सरकारी नौकरी 25 व्यक्ति, गृहणिया 142 तथा 40 आंगन बाड़ी कार्यकर्ता है। इसी तरह 2000 से लेकर 1000 से अधिक आय वाले उत्तरदाता सम्मिलित है 70 व्यक्ति 2000 से कम मासिक आय वाले, 80 व्यक्ति 4000 रू. तक कमाने वाले, 70 व्यक्ति 6000 रू. कमाने वाले, 30 व्यक्ति 8000 रू. तक आय वाले, 20 व्यक्ति 10000 रू. आय वाले तथा 30 व्यक्ति 10000 रू. से अधिक आय वाले है।

**प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी एवं तथ्यों का सारणीकरण किया गया तथा इन्हे सारणी 1.1 से 1.20 तक दर्शाया गया है।**

**सारणी संख्या 1.1 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाली सुविधा एवं जानकारी**

| आंगनबाड़ी केन्द्र की जानकारी | संख्या | प्रतिशत | सुविधाएं/जानकारी |
|---|---|---|---|
| हां | 264 | 88 | गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार, स्वास्थ्य, षिक्षा तथा टीकाकरण, शालापूर्व षिक्षा |
| नहीं | 36 | 12 | |

सर्वे के अनुसार जिले में 88 प्रतिषत व्यक्तियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों और उनसे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी है मात्र 12 प्रतिषत व्यक्ति ही आंगनबाड़ी केन्द्र की सुविधाओं से अनभिज्ञ है।

**सारणी संख्या 1.2 स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी एवं कार्य**

| स्वंयसेवी संस्थाओं की जानकारी | संख्या | प्रतिशत | कार्य |
|---|---|---|---|
| हां | 138 | 46 | पोषाहार, ऋण, बालिका, षिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता |
| नहीं | 162 | 54 | |

जिले में किये गये सर्वे से पता चलता है कि मात्र 46 प्रतिषत व्यक्तियों को ही स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी है। जनसंख्या का बड़ा भाग अर्थात 54 प्रतिषत व्यक्तियों को अभी भी स्वंय सेवी संस्थाओं की जानकारी का अभाव है।

**सारणी संख्या 1.3 स्वयं सहायता समूहों के गठन की जानकारी का प्रतिषत**

| स्वंय सहायता समूहों के गठन की जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हॉ | 200 | 66.67 |
| नहीं | 100 | 33.33 |

सर्वे की सारणी संख्या 1.3 से पता चलता है कि जिले में 66.67 प्रतिषत लोगों को स्वंय सहायता समूह के गठन की जानकारी है। केवल 33.33 प्रतिषत लोग ही स्वंय सहायता समूह के गठन से अनभिज्ञ है।

**सारणी संख्या 1.4 स्वंय सहायता समूह की सदस्यता एवं कार्य**

| स्वंय सहायता समूह की सदस्यता एवं कार्यों की जानकारी | संख्या | प्रतिशत | कार्य |
|---|---|---|---|
| हॉ | 102 | 34 | न्यूनतम ब्याज पर ऋण दिलवाना<br>कुटीर उद्योग धन्धों का प्रतिषत<br>तैयार वस्तुओं के लिए बाजार सुविधा उपलब्ध करवाना |
| नहीं | 198 | 66 | |

जिले में किये गये सर्वे के अनुसार मात्र 34 प्रतिषत व्यक्तियों को एसएचजी के सदस्यों एवं उनके कार्यो की जानकारी है। आबादी का बड़ा भाग अर्थात 66 प्रतिषत लोगों को स्वयं सहायता समूह से मिलने वाले ऋण, चलने वाले उद्योग एवं इनसे तैयार होने वाली वस्तुओं की जानकारी नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले की अधिकांष महिलाए आज भी पिछड़ेपन के कारण सरकारी योजनाओं के साथ आपसी सहयोग से विकास करने में असमर्थ रही है।

**सारणी संख्या 1.5 स्वंय सहायता समूहों को स्वैच्छिक संगठन द्वारा मदद की जानकारी**

| स्वंय सहायता समूह को एन.जी.ओ. द्वारा मदद की जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हॉ | 118 | 39.33 |
| नहीं | 182 | 60.67 |

सर्वे की सारणी संख्या 5 के अनुसार मात्र 39.33 प्रतिषत लोगों को ही एनजीओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने वाली मदद की जानकारी है। लेकिन 60.67 प्रतिषत लोगो को अभी भी एनजीओं से मिलने वाली मदद की जानकारी का अभाव है।

**सारणी संख्या 1.6 महिला विकास कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति**

| महिला विकास एवं कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति/महिला | संख्या | प्रतिशत | कार्यक्रमों के नाम जिनकी जानकारी है। |
|---|---|---|---|
| हां | 177 | 59 | जननी सुरक्षा, टीकाकरण, पोषाहार, नरेगा, पैंषन योजना |
| नहीं | 123 | 41 | |

जिले में मात्र 41 प्रतिषत लोगों को सरकार एवं एनजीओं द्वारा चलाये जा रहे महिला विकास कार्यक्रमों की जानकारी है। महिला आबादी का बड़ा भाग 59 प्रतिषत अभी भी सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इनके कल्याण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों से अनभिज्ञ होने से लाभान्वित नहीं हो पा रहा है अतः जिले में महिला विकास की धीमी गति का यह एक प्रमुख कारण रहा है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-1* September- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

**सारणी संख्या 1.7 महिला नीति के प्रावधानों की जानकारी**

| महिला नीति की जानकारी | संख्या | प्रतिशत | महिला नीति के प्रावधान |
|---|---|---|---|
| हां | 145 | 48.33 | महिलाओं को सषक्त बनाना महिला सुरक्षा के उपाय |
| नहीं | 155 | 51.67 | |

सर्वे की सारणी संख्या 1.7 से पता चलता है कि जिले में आधी आबादी से भी कम अर्थात 48.33 लोगों को ही सरकार द्वारा जारी की गई महिला नीति की जानकारी है। लेकिन अभी भी जिले की आधे से भी अधिक महिलाएं सरकार की महिला नीति से अनभिज्ञ है।

**सारणी संख्या 1.8 बालिका समृद्धि योजना की जानकारी**

| बालिका समृद्धि योजना | संख्या | प्रतिशत | जानकारी |
|---|---|---|---|
| हां | 181 | 60.33 | पुत्री जन्म पर प्रोत्साहन राशि देना |
| नहीं | 119 | 39.67 | |

जिले में 60.33 प्रतिषत लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही बालिका समृद्धि योजना की जानकारी है। केवल 40 प्रतिषत महिलाएं ही बालिका समृद्धि योजना के बारे में जानकारी नहीं हैं।

**सारणी संख्या 1.9 किशोरी शक्ति योजना की जानकारी**

| किशोरी शक्ति योजना | संख्या | प्रतिशत | जानकारी |
|---|---|---|---|
| हां | 179 | 59.67 | किशोर स्वास्थ्य षिक्षा विटामिन की गोलियां देना |
| नहीं | 121 | 40.33 | |

उपरोक्त सारणी 1.9 के अनुसार सर्वे में शामिल व्यक्तियों में लगभग 60 प्रतिषत व्यक्तियों को सरकार की किषोरी शक्ति योजना एवं इससे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी है। लेकिन 40 प्रतिषत व्यक्ति अभी भी सरकार से मिलने वाली सुविधाओं यथा किषोरी स्वास्थ्य, षिक्षा इत्यादि की जानकारी से अनभिज्ञ है।

**सारणी संख्या 1.10 साथिन कार्यक्रम की जानकारी वाले व्यक्ति**

| साथिन कार्यक्रम की जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां | 174 | 58 |
| नहीं | 126 | 42 |

सर्वे की सारणी संख्या 1.10 के अनुसार जिले में 58 प्रतिषत व्यक्तियों को साथिन कार्यक्रम योजना की जानकारी है और 42 प्रतिषत व्यक्तियों को अभी इस कार्यक्रम की जानकारी का अभाव है।

**सारणी संख्या 1.11 महिला समृद्धि योजना की जानकारी**

| महिला समृद्धि योजना की जानकारी | संख्या | प्रतिशत | जानकारी |
|---|---|---|---|
| हां | 138 | 46 | अल्प बचत खाता खुलवाना |
| नहीं | 162 | 54 | |

सर्वे के अनुसार जिले में 46 प्रतिषत लोगों को ही महिला समृद्धि योजना एवं इससे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी है लेकिन जिले की आबादी का बड़ा भाग 54 प्रतिषत जानकारी के अभाव के कारण इस योजना से लाभान्वित नही हो पा रहा है।

**सारणी संख्या 1.12 मातृत्व सहयोग योजना की जानकारी**

| मातृत्व सहयोग योजना | संख्या | प्रतिशत | जानकारी |
|---|---|---|---|
| हां | 119 | 39.67 | छात्री महिला एवं शिशुओं को पूरक आहार देना |
| नहीं | 181 | 60.33 | |

सर्वे के अनुसार जिले में सरकार की मातृत्व सहयोग योजना एवं इससे मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी रखने वाले लोगों का प्रतिषत 39.67 है लेकिन जिले की आबादी का बड़ा भाग 60.33 प्रतिषत जानकारी के अभाव के कारण इस योजना से मिलने वाली सुविधाओं से लाभान्वित नहीं हो रहा है।

**सारणी संख्या 1.13 राष्ट्रीय मातृत्व योजना की जानकारी व लाभान्वितों की संख्या**

| राष्ट्रीय मातृत्व न्याय योजना एवं लाभान्वित | संख्या | प्रतिशत | लाभान्वित की संख्या |
|---|---|---|---|
| हां | 164 | 54.67 | 95 लोग लाभान्वित हुए है। |
| नहीं | 136 | 45.33 | |

जनप्रतिक्रियात्मक सर्वेक्षण की सारणी संख्या 1.13 के अनुसार जिले में चल रही राष्ट्रीय मातृत्व योजना की जानकारी 54.67 प्रतिषत व्यक्तियों को है। परन्तु अभी भी 45.33 प्रतिषत लोग जानकारी के अभाव में इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे है।

**सारणी संख्या 1.14 महिला आयोग की जानकारी**

| महिला आयोग की जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां | 201 | 67 |
| नहीं | 99 | 33 |

सर्वे के अनुसार जिले में 67 प्रतिषत व्यक्तियों को महिला आयोग की जानकारी है और 33 प्रतिषत लोग महिला आयोग एवं उनके कार्य से अनभिज्ञ है।

**सारणी संख्या 1.15 महिला दिवस मनाने/जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की संख्या**

| महिला दिवस मनाने की जानकारी रखने वाले व्यक्ति | संख्या | प्रतिशत | मनाने वाले व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| हां | 82 | 27.33 | 82 व्यक्तियों ने मनाया |
| नहीं | 218 | 72.67 | |

सर्वे के अनुसार महिला दिवस की जानकारी रखने वाले व्यक्ति जिले में मात्र 27.33 प्रतिषत ही है। महिला आबादी का लगभग तीन चोथाई भाग अभी भी महिला दिवस से अनभिज्ञ है।

**सारणी संख्या 1.16 कामकाजी महिलाओं का शोषण**

| कामकाजी महिला का शोषण | संख्या | प्रतिशत | शोषण के प्रकार |
|---|---|---|---|
| हां | 189 | 63 | पुरूषों के बराबर वेतन नहीं, अत्यधिक कार्य देना, प्रताड़ित करना |
| नहीं | 111 | 37 | |

सर्वे के अनुसार जिले में 63 प्रतिषत व्यक्तियों का मानना है कि कामकाजी महिलाओं का शोषण होता है। इसमें कार्य में असमानता कम वेतन एवं प्रताड़ित करने जैसी घटनायें आम बात हैं। मात्र 37 प्रतिषत महिलाओं का मानना है कि कार्य स्थल पर भेदभाव एवं उत्पीड़न नहीं होता है।

**सारणी संख्या 1.17 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की जानकारी**

| घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां | 178 | 59.33 |
| नहीं | 122 | 40.67 |

जिले में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 59.33 प्रतिषत लोगो को घरेलू हिंसा सरंक्षण अधिनियम की जानकारी है। लेकिन अभी भी 40 प्रतिषत से अधिक व्यक्ति इस अधिनियम से अनभिज्ञ है।

**सारणी संख्या 1.18 महिला विकास कार्यक्रम षिविरों की जानकारी**

| महिला विकास शिविर की जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां | 123 | 41 |
| नहीं | 177 | 59 |

सर्वे के अनुसार जिले में मात्र 41 प्रतिशत लोगों को ही महिला विकास कार्यक्रम षिविरों की जानकारी है। 59 प्रतिषत व्यक्ति अभी भी महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए चलाये जा रहे षिविरों की जानकारी से अनभिज्ञता रखते इसके मुख्य कारण अषिक्षा एवं योजना का उचित प्रचार–प्रसार न होना हैं।

**सारणी संख्या 1.19 जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग से संचालित कार्यक्रमों की जानकारी**

| चूरू जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां | 206 | 68.67 |
| नहीं | 94 | 31.33 |

जिले में 68.67 प्रतिषत व्यक्तियों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी है 31.33 प्रतिषत व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों की जानकारी न होने से विभाग से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे है।

**सारणी संख्या 1.20 चूरू जिले में महिला विकास कार्यक्रमों की स्थिति**

| चूरू जिले में महिला विकास कार्यक्रमों की स्थिति | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अच्छी | 58 | 19.33 |
| ठीक–ठीक | 156 | 52 |
| खराब | 34 | 11.33 |
| मालूम नही | 52 | 17.33 |

जनप्रतिक्रियात्मक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में 19.33 प्रतिषत लोगों का मानना है कि जिले में महिला विकास कार्यक्रमों की स्थिति अच्छी है। 52 प्रतिषत लोगों के अनुसार इन कार्यक्रमों की स्थिति ठीक–ठीक है। 11.33 प्रतिषत लोगों का मानना है कि महिला विकास कार्यक्रमों का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। एवं 17.33 प्रतिषत व्यक्तियों को ऐसे कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं है। अर्थात लगभग 80 प्रतिषत व्यक्ति इन कार्यक्रमों के संचालन से नाखुष है।

**समीक्षा**

महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो और उनसे मिलने वाली सुविधाओं जैसे पोषाहार, स्वास्थ्य, टीकाकरण, शालापूर्ण षिक्षा इत्यादि के बारे में लोगों को जानकारी है कि लेकिन इनकी कार्यषैली से काफी नाराजगी है। इनके संचालन में पक्षपात, फर्जीवाड़ा भाई भतीजावाद जैसे आरोप जनप्रतिक्रियाओं में लगाये गये हैं। महिला विकास कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका के बारे में केवल षिक्षित वर्ग को ही जानकारी है। एन.जी.ओ. के सम्बन्ध में नकारात्मक धारणाएं जनमानस में जायी जाती है। प्रभावषाली लोगो द्वारा संचालित तथा प्रभावषाली लोगों को ही फायदा पहुंचाना, फर्जी लाभान्वित दिखाकर व्यय प्राप्त करना, गुणवता की कमी, पक्षपात तथा नाम के ही एन.जी.ओ. होना इत्यादि बाते सामने आयी है। आबादी का बहुत बड़ा भाग एन.जी. ओ. से मिलने वाली मदद एवं सुविधाओं की जानकारी नहीं होने से लाभान्वित नहीं हो रहे है।

जिले में 66.77 प्रतिषत लोगों को स्वयं सहायता समूह के गठन की जानकारी है लेकिन केवल 34 प्रतिशत महिलाएं ही इनकी सदस्यता ग्रहण करती है और लाभान्वित होती है। अतः जिले की अधिकांश महिलाएं आज भी पिछड़ेपन का शिकार है।

बालिका समृद्धि योजना, पुत्री जन्म पर प्रोत्साहन राषि, नरेशा जननी शिशु सुरक्षा, पेंषन योजना, किशोरी स्वास्थ्य, शिक्षा, आयरन की गोलिया साथिन कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना, मातृत्व सहयोग योजना, महिला विकास कार्यक्रम शिवरो इत्यादि के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण लाभान्वितों की संख्या कम रही है।

जिले में आधी से अधिक महिलाएं सरकार की महिला नीति, महिला आयोग तथा महिला दिवस के बारे में अनभिज्ञ है जिले में 63 प्रतिशत व्यक्तियों का मानना है कि कामकाजी महिलाओं का शोषण होता है। कार्य में असमानता कम वेतन एवं प्रताड़ित करने जैसी घटनाएं आम बात है। घरेलु हिंसा संरक्षण अधिनियम की केवल 59.63 प्रतिषत लोगो को ही जानकारी है।

जनप्रतिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त तथ्यों के विष्लेषण से यह सुनिशचित माना जा सकता है कि जिले में महिला विकास की स्थिति को केवल 19.33 प्रतिषत महिलाओं ने ही अच्छा माना है। अर्थात महिलाए घरेलू हिंसा की शिकार, पति द्वारा प्रताड़ित, कामकाजी महिलाएं शोषण का शिकार, षिक्षा का स्तर निम्न लिंग भेदभाव तथा परम्परागत अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं से ग्रसित है।

सर्वेक्षण के दौरान महिला विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सुधारों के रूप में बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए है। इनमें से प्रमुख है महिला शिक्षा को बढावा, नीतियों का प्रचार–प्रसार महिला नीति व योजनाओं की समय–समय पर समीक्षा आंगनबाड़ी व एन.जी.ओ. के संगठनों को बढावा व प्रभावी बनाना, महिलाओं को इन कार्यक्रमों से ज्यादा से ज्यादा जोड़ना महिला आयोग के संगठन को गांवो तक

पहुंचाना, महिलाओं को सुरक्षा दिलाना, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, शराब बन्दी, सुरक्षित वातावरण, महिला आरक्षण, पुरूष की मानसिकता में बदलाव इत्यादि।

अतः जिले में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ करने हेतु महिला विकास कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन की महत्ती आवश्यकता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति रिपोर्ट – महिला बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर 2015.16ए कार्यालय उपनिदेषक महिला बाल विकास विभाग, चूरू
2. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरू ए वार्षिक रिपोर्ट 2015. 16
3. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 2015.16
4. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 2015.16
5. निदेषालय साक्षरता एवं सत्त शिक्षा, जयपुर बीकानेर
6. कार्यालय उपनिदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू वार्षिक प्रतिवेदन 2013.14
7. जिला उद्योग केन्द्र, चूरू वार्षिक रिपोर्ट 2015
8. जिले के विभिन्न क्षेत्रो से प्रष्नावली में शामिल व्यक्तियों से व्यक्ति सम्पर्क